कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— अनु—प्रथम / बी / 2020 / 164 दिनांक : 02 .07.2020

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(2) प्र.सु. / अनु.—3 / 2020 दिनांक 18..06.2020 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक पद की परीक्षा, 2018 में उत्तीर्ण निम्न अभ्यर्थियों को अधिनस्थ कार्यालय हेतु चयनित कर इस विभाग में अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापन किया जाता है । अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 7(2)डीओपी / ए—2 / 05 दिनांक 20.01.2006 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 14600.00 प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। परीवीक्षाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल—5 के अनुसार न्यूनतम वेतन 20800 / — एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे ।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	जन्म दिनांक	मेरिट संख्या	नियुक्ति / पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री मनोज कुमार कुरील पुत्र श्री टीका राम कुरील (SC)	05.03.1992	17893	परियोजना निदेशक(पीपीपी) सा.नि.वि. हनुमानगढ़
2	श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह (SC)	15.05.1995	17898	सा.नि.वि. वृत भरतपुर
3	श्री मोहित कोटिया पुत्र श्री नरेन्द्र कोटिया (SC)	10.01.1993	17909	सा.नि.वि. संभाग द्वितीय, जयपुर
4	श्री दीपक पुत्र श्री सुभाष चन्द्र (SC)	01.07.1997	17916	सा.नि.वि. वृत—सीकर
5	श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्रीलाल (SC)	02.08.1992	17925	सा.नि.वि. खण्ड बाड़ी
6	श्री देवेन्द्र सिंह जाटव पुत्र श्री भागमल जाटव (SC)	01.08.1997	17936	सा.नि.वि. वृत करौली
7	श्री सौरभ सिरोही पुत्र श्री मोहन लाल सिरोही (SC)	14.09.1995	18014	परियोजना निदेशक(पीपीपी) सा.नि.वि. बीकानेर

8	श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद गर्ग (SC)	22.11.1989	18060	सा.नि.वि. उपखण्ड सम (खण्ड द्वितीय जैसलमेर)
9	श्री नीरज कुमार मीना पुत्र श्री रमेश चन्द मीना (ST)	10.07.1992	21465	सा.नि.वि. खण्ड गंगापुर सिटी
10	श्री राजू मीणा पुत्र श्री बाबू लाल मीणा (ST)	08.06.1994	21471	सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग वृत जयपुर
11	श्री छोटेलाल मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना (ST)	13.07.1993	21519	सा.नि.वि. गुण नियंत्रण खण्ड दौसा
12	श्री लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री मिठालाल मीना(ST)	07.03.1996	21536	सा.नि.वि. खण्ड प्रथम सवाई माधोपुर
13	श्री रविन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री दशरथ सिंह (ST)	15.01.1995	21571	सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम छबड़ा

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे ।
2. अभ्यर्थियों को जिन कार्यालयों में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण (Joining Report) करना हो उस कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Compute/Typing संबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./विकलांग आदि) के सम्बन्ध में आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त करके संतुष्टी कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई सूचना सही है । सभी दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण–पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (Certified/Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावे।
3. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. वर्ग का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो।
4. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी प्रमाण–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं सन्तान सम्बन्धी शपथ–पत्र {कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा} निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ति करावें । इसके साथ ही अभ्यर्थी से विवाह के समय दहेज नहीं लिए जाने सम्बन्धी शपथ–पत्र एवं धूम्रपान नहीं करने सम्बन्धी शपथ–पत्र भी आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।
5. गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे ।
6. नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात यदि प्रार्थी नियमानुसार नियत अवधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो अभ्यर्थी का आवेदन फार्म इस कार्यालय को लौटाएं ।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन (सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा जारी) नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
9. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
10. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय–समय पर संशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी ।
11. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
12. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जो उनके सम्बन्धी न हो तथा छः माह से अधिक पुराना नहीं हो ।
13. उपस्थिति ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी (हैड ऑफ ऑफिस) नियमानुसार कर्मचारी से भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरवाकर प्राप्त करेंगें।
15. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.1.2004 एवं 27.3.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे ।
16. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
17. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो विभाग उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगा ।
18. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है । अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
19. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ अभ्यर्थी से पूर्व में अथवा बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर ही होगा ।
20. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे ।

02.7.2020

(चिन्न हरी मीना)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा0 नि0 वि0, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प. 72(3)/अनु.प्रथम/बी/2020/डी– दिनांक :02.07.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक प. 1(6) प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 16..06.2020 के क्रम में ।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., सम्भाग–................................
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत–..
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.,खण्ड– ....
5. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि., उपखण्ड– ....
6. श्री ...., निवासी ....
   ....
   ....
7. निजी सचिव, मु.अ./व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली ।

02.07.2020

(अक्षय कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर